1911

(12)

हिमाचल प्रदेष सरकार
वन विभाग

File No.- FFE-B-F(2)-3/2013 **Order** Dated Shimla-171002, the

विशय :-Diversion of 3.51 hectare of forest land in favour of HPSEB for realignment/shifting of existing 66 KV S/C Transmission Line from Kumarsain to Nathpa near Bazir Baweli, within the jurisdiction of Ani Forest Division Luhri, Distt. Kullu , Himachal Pradesh.

भारत सरकार पर्यावरण एंव् वन मन्त्रालय उत्तर क्षेत्रीय कार्यालय चण्डीगढ़ द्वारा वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 के अर्न्तगत जारी स्वीकृति पत्र संख्या **9-HPB813/2011 – CHA दिनांक 13.05.13** के परिणामस्वरुप राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा **3.51 hectare of forest land in favour of HPSEB for realignment/shifting of existing 66 KV S/C Transmission Line from Kumarsain to Nathpa near Bazir Baweli, within the jurisdiction of Ani Forest Division Luhri, Distt. Kullu , Himachal Pradesh**, को उपयोग के लिए निम्नलिखित शर्ते पूरी करने पर प्रदान की जाती है।

1 वन भूमि की विधिक परिस्थिति बदली नही जाएगी।
2 प्रस्ताव के अनुसार कोई वृक्ष बाधक नही है अतः कोई वृक्ष काटा नही जायेगा।
3 प्रतिपूर्ति पौधारोपण प्रस्ताव के अनुसार UPF-Kathanda में प्रयोक्ता एजेंसी से प्राप्त रुपये 9,74,952/–(नौ लाख चौहत्तर हजार नौ सौ बावन मात्र) की राषि से कुल 7.00 हैक्टेयर निम्नीकृत वन भूमि मे पौधे लगाकर किया जायेगा। प्रतिपूर्ति पौधारोपण इस पत्र के जारी होने की तिथि से एक वर्श के अन्दर हो जाना चाहिए।
4 An undertaking by the user agency to pay the additional NVP, if so determined, as per the final decision of the Hon'ble Supreme Court of India.
5 साथ लगते वन क्षेत्र को किसी भी प्रकार का नुकसान नही पहुंचाया जाएगा। तथा वन क्षेत्र की स्थिरता के लिये सभी सुरक्षा ऊपाय / पूर्व ऊपाय दृढतापूर्वक किये जायेंगे।
6 मार्गाधिकार की चौड़ाई 18 मीटर से अधिक नहीं होगी।
7 प्रत्येक कंडक्टर के नीचे टैंशन सटरिंजिंग उपकरण लगाने के लिए 3 मीटर चौड़ी पट्टी में निकासी की अनुमति प्रदान की जायेगी, परन्तु सटरिंजिंग कार्य खत्म होने पर प्राकृतिक सम्पोषण होने दिया जाएगा। कंडक्टर तथा पेडों के बीच का फासला कम से कम 3.4 मीटर होना चाहिए। कंडक्टरों के झुकाव तथा झोल को ध्यान में रखा जायेगा। बिजली की निकासी बनाये रखने के लिए जब कभी आवश्यक होगा तो पेडों की कांट छांट का कार्य स्थानीय वन मण्डल अधिकारी की अनुमति से किया जाएगा। ट्रांसमिशन लाईन की मार्गाधिकार में नीचे छोटे कद के पौधों मुख्य रुप से औशधीय पौधों की प्लांटेशन प्रयोक्ता एजेंसी के खर्च पर की जायेगी।
8 वन भूमि का प्रयोग प्रस्ताव मे दर्षाये उद्देष्य के अलावा अन्य किसी उद्देष्य के लिए नही किया जायेगा।

1FCA
F(FCA)
1 Pccf 5/6

प्र०मु०अ०व० हि०प्र०
पावती सं० 1161
दिनांक 7/6/13

9 यदि कोई अन्य संबंधित अधिनियम / अनुच्छेद / नियम / न्यायालय आदेष /अनुदेष आदि इस प्रस्ताव पर लागू होते है तो उनके अधीन जरुरी अनुमति लेना राज्य सरकार / प्रयोक्ता एजेंसी की जिम्मेवारी होगी।

10 उपरोक्त सब–स्टेशन व विद्युत संचार लाईन के निर्माण में जो भी वृक्ष आयेगें उन्हे हिमाचल प्रदेष राज्य वन विकास निगम द्वारा हटाया जायेगा।

11 भारत सरकार पर्यावरण एंव वन मन्त्रालय उत्तर क्षेत्रीय कार्यालय चण्डीगढ़ के अर्न्तगत पूंव में जारी स्वीकृति पत्र संख्या **9–HPB813/2011 – CHA दिनांक 13-05-2013** में जारी सभी शर्तो की पालना सुनिश्चित की जायेगी।

12 A lease- deed of the forest land shall be executed by the user agency with Collector-cum- Deputy Commissioner. District Kullu, HP.

उपरोक्त शर्तों में से किसी भी शर्त का कार्यान्वयन सन्तोशप्रद नही पाने पर मन्त्रालय इस स्वीकृति को स्थगित / रद्द कर सकता है। वन विभाग हि0 प्र0 के माध्यम से इन शर्तों की अनुपालना सुनिश्चित की जायेगी ।

आदेश अनुसार
प्रधान सचिव (वन)
हिमाचल प्रदेष सरकार षिमला –2

Endst. NoFFE-B-F(2)-3/2013 (FCA) Dated, Shimla-171001 the, 5-6-13

Copy is forwarded to :-

1. Assistant Inspector General of Forests, MoEF, Paryavaran Bhawan, C.G.O. Complex, Lodhi Road, New Delhi – 110510.
2. Additional PCCF (Central), Regional Office, Govt. of India, Ministry of Environment and Forests, Bays No.24- 25, Sector-31 –A, Chandigarh- 160030.
3. The Pr.CCF (HoFF) with the request to ensure compliance of all conditions contained in the above order.
4. The Nodal Officer –cum- Addl. Pr. CCF (FCA), Forest Department, Himachal Pradesh, Shimla-171001
5. The Deputy Commissioner, Kangra, Distt. Kangra, Himachal Pradesh.
6. Sr. Executive Engineer, Transmission Division, HPSEB, Bhaba Nagar, Disttt. Shimla, HP.
7. CCF, Kullu/DFO, Ani Forest Division, Distt. Kullu, H.P.
8. Guard File.

Under Secretary (Forests) to the
Govt. of Himachal Pradesh.